

विषय:- लाईटस सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों में अधिवक्ताओं के नाम का अपडेशन किये जाने संबंध में।

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के लंबित प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम लाईटस सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों में इन्द्राज एवं अपडेशन किये जाने आवश्यक होते हैं। इस संबंध में विभागीय परिपत्र प12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2019 के द्वारा लाईटस सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन, निर्णित प्रकरणों का अपडेशन, प्रथम तारीख पर निर्णित प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन, लाईटस सॉफ्टवेयर में अधिवक्ता के नाम की गलत एन्ट्री का दुरस्तीकरण इत्यादी की अपेक्षा की गयी थी।

यह ध्यान में लाया गया है कि अधिवक्ताओं के नाम लाईटस पर दर्ज एवं अपडेट नहीं किये जा रहे हैं। विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित प्रकरणों को अपडेट नहीं किया जाकर उनमें नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता एवं एडवोकेट ऑन रिकार्डस के नाम लाईटस पर अपडेट नहीं किये जा रहे, जिसके कारण अधिवक्ताओं को लाईटस पर फीस बिल जनरेट करने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः पुनः समस्त प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के लंबित प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम लाईटस सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों में इन्द्राज, अपडेशन किये जावे, लाईटस सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन, निर्णित प्रकरणों का अपडेशन, प्रथम तारीख पर निर्णित प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन, लाईटस सॉफ्टवेयर में अधिवक्ता के नाम की गलत एन्ट्री का दुरस्तीकरण इत्यादी नियमित रूप से संपादित किया जावे, जिससे फीस बिलों को जनरेट करने में अधिवक्ताओं को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जावे।

(हुकम सिंह राजपुरोहित)

शासन सचिव, विधि

जयपुर, दिनांक:-

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / पीठ जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता / पैनल अधिवक्ता / एडवोकेट ऑन रिकार्डस राजस्थान सरकार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / पीठ जयपुर।
9. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को लाईटस सॉफ्टवेयर पर अधिवक्ताओं का नाम अपडेट किये जाने से संबंधित विन्दु की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु प्रेषित है।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी / वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग जयपुर।
13. प्रशासक वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / पीठ जयपुर।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
16. रक्षित पत्रावली।

30/6/2020
शासन सचिव, विधि